

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगपुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 66/2020 (2020/00175)  
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

दर्ज दिनांक 09.07.2020

अनवान

1. कन्हैयालाल पिता कजोड़मल महाजन (डांगी) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. बंशीलाल पिता चुनीलाल रांका निवासी खांखला
2. धापुबाई पत्नि सोहन लाल रांका निवासी खांखला
3. सुरेश पिता मिटुलाल रांका निवासी साकी विहार काम्पलेक्स, बिल्डिंग नं0 4, ए-203, साकीनाका, मुम्बई 400072
4. भगवती लाल पिता मिटुलाल रांका निवासी बालाजी काम्पलेक्स, वेंकटेश शांति, ए-503, भायंदर वेस्ट-401101 जिला ठाणे
5. गणपत पिता मिटुलाल रांका निवासी 17, गुप्ता निवास, पाईप लाईन, मोहिली पिपेज, साकीनाका मुम्बई-400072
6. चिराग पिता ललित रांका निवासी काजल ज्वैलर्स , साकीनाका पाईपलाइन, दुबे चाल, अंधेरी वेस्ट मुम्बई-400072
7. राजू देवी पत्नी ललित रांका निवासी काजल ज्वैलर्स , साकीनाका पाईपलाइन, दुबे चाल, अंधेरी वेस्ट मुम्बई-400072
8. विमला देवी पिता बालुराम रांका बालाजी काम्पलेक्स, वेंकटेश शांति, ए-503, भायंदर वेस्ट-401101 जिला ठाणे
9. सुनिता देवी पिता बालुराम रांका बालाजी काम्पलेक्स, वेंकटेश शांति, ए-503, भायंदर वेस्ट-401101 जिला ठाणे
10. ममता देवी पिता बालुराम रांका बालाजी काम्पलेक्स, वेंकटेश शांति, ए-503, भायंदर वेस्ट-401101 जिला ठाणे
11. धर्मचंद पिता फूलचंद रांका निवासी गोल्ड फील्ड टॉवर, रूम नं0 152, 15 वां माला, साईन बांद्रा लिंक रोड, ओ0एन0जी0सी0 बिल्डिंग के पास धारावी, मुंबई-400017
12. भैरूलाल पिता फूलचंद रांका निवासी बी-58, आशा नगर 1, शांति निवासी , बी/4, हरिनगर-1, उधना, सूरत 394210
13. मदनलाल पिता फूलचंद रांका निवासी 102, 22 ए.सत्यसाई अपार्टमेंट, आशा नगर, बी/4, हरिनगर-1, उधना, सूरत 394210
14. लदी उर्फ रेखा पिता फूलचंद रांका निवासी बी/35., आशा नगर-1, बी/4, हरिनगर-1, उधना, सूरत 394210
15. श्रतनी देवी पिता सोहन लाल रांका निवासी शांतिलाल सुराणा , मु0 पो0 जुणदा तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगपुर।

—विपक्षीगण



अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री अरविंद चौधरी

1.

2.

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-24.08.2020


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम खांखलां पटवार हल्का खांखलां तहसील सहाड़ा की बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1581 रकबा 0.24 हे0, 1585 रकबा 0.11 हे0, 1585/4506 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 03 रकबा 0.46 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 73 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। एवं विपक्षी संख्या 3 लगायत 15 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता ने कोई दाद नहीं चाही। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

वाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम खांखलां पटवार हल्का खांखलां तहसील सहाड़ा की बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1581 रकबा 0.24 हे0, 1585 रकबा 0.11 हे0, 1585/4506 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 03 रकबा 0.46 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 73 पर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को भौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(विक्रम पंचोली)  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर(भीलवाड़ा)